

करता हूँ कि सदन इस विधेयक को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि संपदा शुल्क, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.40 म०प०

पंजाब में चुनाव के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि पंजाब में चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की जा चुकी है।

हमारे देश में चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया की महत्ता स्पष्ट ही है, इस पर और जोर देने की जरूरत नहीं है।

हमारे लोगों द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया गया है कि प्रगति एवं सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए मताधिकार ही उनका हथियार है।

परन्तु पंजाब में घटित हाल की घटनाओं के संदर्भ में, चुनाव प्रक्रिया ने भी एक नए राष्ट्रीय महत्त्व का स्थान ग्रहण कर लिया है।

लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति वचनबद्ध सभी राजनीतिक दलों के सामने अब मूल मुद्दा यह है, कि क्या उग्रवादी और आतंकवादी शक्तियों द्वारा हम जनता की स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग को बाधित, कुंठित और विध्वंसित होने देंगे ?

इस प्रश्न के सही उत्तर पर ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का भाग्य निर्भर है। या तो सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बना कर और एकजुट होकर आतंकवाद की इस भीषण चुनौती का सामना करें या फिर आतंकवाद और उग्रवाद की धमकी के सामने घुटने टेक दें। पंजाब में बाकी सभी कुछ गौण है। वहाँ पर किस दल को कितने स्थान प्राप्त होते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। वहाँ कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका भी कोई महत्व नहीं है।

जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि लोकतंत्र का दिया बुझने न पाए। महत्व इस बात का है कि भारत जीते।

भारत के लोगों ने यह दिखा दिया है कि वे हर चीज से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आदर करते हैं; राजनीतिक दल भी जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकतंत्र का मूल्य कम नहीं समझते हैं।

आम जनता पर अपनी इच्छा थोपने के लिये कुछ थोड़े से लोगों द्वारा अपनाए गए क्रूर और नृशंस रास्ते का सही उत्तर लोकतांत्रिक चुनाव ही है।

हम विघटनकारी शक्तियों को सिर नहीं उठाने देंगे।

हम कोई भी जोखिम उठाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

जनता की इच्छा एवं विश्वास के संरक्षक की हैसियत से, इस बात के लिये पूरी तरह से बचनबद्ध हैं।

हमारे लोकतांत्रिक समाज में सामने आने लाले हर खतरे का मुकाबला करने की आन्तरिक शक्ति है।

हम यह दिखा देंगे कि हम स्वार्थों के ऊपर उठने में भी सक्षम हैं।

हम सब को, जो इस राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित किए गए आदर्शों का आदर करते हैं, मिलकर इस चुनौती का सामना करना है।

2.43 म०प०

रेलवे संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

महोदय, 1957 के अधिनियम से पहले, रेलवे सुरक्षा बल रेलवे का एक निगरानी विभाग था। 1957 के बाद, यह एक संगठित बल बन गया। इस समय, रेलवे सुरक्षा बल के पास अपना कार्य समुचित रूप से निष्पादित करने के लिए बहुत कम शक्तियाँ हैं। इस संशोधन के पास होने के बाद, रेलवे सुरक्षा बल अपना कर्तव्य समुचित रूप से और प्रभावी रूप से